बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27/2022...6726... पटना, दिनांक :– 01·09·23

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 339 दिनांक 17.03.2023 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार शाह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01989) के विरूद्ध 20 सितम्बर, 2022 से बिना सूचना के लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन देते हुए लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप संविदा अनुबंध समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2635 दिनांक 03.04.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। ससमय स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण इन्हें पुनः एक अवसर इस कार्यालय के पत्रांक 5728 दिनांक 11.07.2023 द्वारा दिया गया है। स्मारित करने के बावजूद इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि ये लगभग 01 वर्ष से अपने कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं, साथ ही साथ स्पष्टीकरण का उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। प्रस्तुत मामले में नैसर्गिक न्याय यथा लगाए गए आरोप के विरूद्ध इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है परन्तु इनके द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाना यह स्पष्ट करता है कि ये कोई अपनी बात कहना नहीं चाहते हैं, जो अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं आदेशोल्लंघन का परिचायक है। इनका कृत्य बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा को सम्पुष्ट करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है, जिसमें इनकी सहभागिता की आवश्यकता है परन्तु इनके कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के कारण निर्धारित लक्ष्य बाधित हुआ है। अतः ऐसे कर्मी का संविदा नियोजन बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री रविन्द्र कुमार शाह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01989) का संविदा अनुबंध अनाधिकृत अनुपस्थिति की तिथि अर्थात दिनांक 20.09.2022 से रद्द किया जाता है।

31/8/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27/2022...6726... **पटना, दिनांक** :– 01·09·23

प्रतिलिपि :– श्री रविन्द्र कुमार शाह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01989), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022...6726 **पटना, दिनांक** :– 01.09.23

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022...6726 **पटना, दिनांक** :– 01.09.23

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप